

कोटा में 290 किलो डोडा-चूरा बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

गेहूँ की भूसी की बोरियों के नीचे मादक पदार्थ डोडा-चूरा को छिपा रखा था

कोटा, (निसं)। प्रदेश में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व तस्करी की धरपकड़ के लिये केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अवैध मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) चित्तौड़गढ़-2 डिवीजन



नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा जब्त किया।

■ सीबीएन टीम ने मौके पर पहुंचकर बाड़ा की जगह की सही पहचान की और तलाशी लेकर कार्रवाई की

के अधिकारियों ने एक बाड़े पर छापा मारकर 290.440 किलोग्राम अवैध डोडा-चूरा बरामद किया, साथ ही एक जने को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में की गई।

उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि जिला चित्तौड़गढ़ के

तहसील कपासन गांव तुर्किया खुर्द के रहने वाले एक व्यक्ति ने बिना वैलिड अफीम लाइसेंस के अपने बाड़े में भारी मात्रा में अवैध डोडा-चूरा जमा किया हुआ है और लगातार ड्रग तस्करी को अवैध डोडा-चूरा पहुंचा रहा है। उक्त सूचना पर सीबीएन चित्तौड़गढ़-2 डिवीजन के अधिकारियों की टीम गठित की गई

और टीम को मौके के लिये रवाना किया गया। गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर बाड़ा की जगह की सही पहचान की और पूरी तलाशी ली गई। उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि तलाशी के दौरान गेहूँ की भूसी की बोरियों के नीचे छिपाए गए अवैध डोडा-चूरा के 15 बैग बरामद किए गए। टीम ने

कार्यवाही के दौरान 290.440 किलोग्राम अवैध डोडा-चूरा बरामद किया है। टीम ने मौके पर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, बरामद किए गए अवैध डोडा-चूरा को जब्त किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए एक जने को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण में आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

राजगढ़ : दोस्त को लेने जा रहे दो युवकों की सड़क हादसे में मौत

पुलिस व ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर कार में फंसे शर्वा को बाहर निकाला

राजगढ़, (निसं)। शनिवार व रविवार की रात करीब 10:30 बजे घणाऊ-खुड़ी रोड पर महासिंह पुनिया के खेत के पास हुए डम्पर व कार की टक्कर में हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें बेकाबू डंपर ने कार के परखच्चे उड़ा दिए। रविवार को मामला दर्ज करवाकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। हादसे के बाद डम्पर चालक फरार हो गया।

दर्ज मामले के अनुसार प्रहलदाराम जांगिड़ निवासी घणाऊ ने राजगढ़ थाना पुलिस को बताया कि उनका भतीजा कुलदीप (24) पुत्र ईश्वर सिंह निवासी घणाऊ और उसका भांजा राजेश (23) पुत्र हनुमान सिंह निवासी अजीतपुरा, भादरा रात को राजगढ़ रेलवे स्टेशन जा

■ घणाऊ-खुड़ी रोड पर डम्पर व कार की टक्कर हो गई थी, डंपर चालक फरार

रहे थे। घणाऊ निवासी सुरेन्द्र पुत्र शुभराम जाट जो आर्मी में है, छुट्टी पर आ रहा था। गांव तक कोई साधन नहीं था, इसलिए दोनों युवक दोस्त को रिसीव करने निकले थे। तभी चनाणा व खुड़ी गांव के बीच डंपर चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही से कार को सामने से टक्कर मार दी। कार सवार कुलदीप व राजेश को गंभीर चोटें आईं और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। डंपर चालक मौके से फरार हो गया।

हादसे की आवाज सुन कर खुड़ी निवासी भूपेन्द्र पुनिया, पवन जांगिड़ व घणाऊ के सुरेश दौड़े। उन्होंने राजगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस व ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर कार में फंसे शर्वा को बाहर निकाला। एंबुलेंस से राजकीय उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। प्रहलदाराम की रिपोर्ट पर राजगढ़ थाना पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। प्रकरण का अनुसंधान धर्मेन्द्र सिंह एसआई को सौंपा गया है। कुलदीप व राजेश की मौत को लेकर फौजी दोस्त सुरेन्द्र जब स्टेशन पहुंचा तो दोस्तों की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गया तथा गांव घणाऊ व अजीतपुरा में शोक की लहर दौड़ गई है।

टोंक में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते दो गिरफ्तार

टोंक, (निसं)। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भागवत के निर्देशन में निवाई थाना प्रभारी यासीराम के नेतृत्व में गठित टीम ने निवाई क्षेत्र में आईपीएल टी-20 क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से दो एंड्रॉयड मोबाइल, एक कोपैड फोन, सट्टा डायरी और 5040 रुपए नकद बरामद किए हैं। वहीं जन्त डायरी में 3 लाख 24 हजार 400 रुपए के लेन-देन का हिसाब-किताब दर्ज मिला है।

थाना प्रभारी यासीराम ने बताया कि पुलिस को मिली सूचना के बाद राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच खेले जा रहे आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते टीम ने शनिवार रात्रि को कस्टा निवाई में भरकुआ तालाब के पास दबिश देकर मौके से आरोपी रमेश सैनी उर्फ बबलू सैनी निवासी देहलोद और रवि प्रकाश सैनी निवासी पहाड़ी चुंगी नाका निवाई को गिरफ्तार किया गया।

तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से वृद्धा की मौत

पावटा, (निसं)। प्रागपुरा थाना क्षेत्र के बागावास पुलिया के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर रविवार की दोपहर सब्जी से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से 75 वर्षीय वृद्ध महिला गोरा देवी की मौत पर ही मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब महिला सड़क पार कर रही थी। बुरानापुर निवासी गोरा देवी पत्नी बोदूराम जाट रविवार दोपहर

■ सड़क पार करते समय हादसे का शिकार हुई वृद्धा, आरोपी चालक फरार हुआ

अपनी बेटी धत्री देवी के साथ ग्राम लाडाकाबास अपने पैर में परेशानी को लेकर दिखाने आई थी। इसी दौरान सड़क पार करते समय तेज गति से आ रही एक सब्जी से भरी पिकअप गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गोरा देवी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। मृतका को उपजिला अस्पताल पावटा ले जाया गया। सूचना पर पहुंची प्रागपुरा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पिकअप काफी तेज रफ्तार में थी और चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया।

राज्यपाल बागड़े ने आसोतरा ब्रह्म मंदिर में पूजा-अर्चना की



राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आसोतरा ब्रह्म मंदिर में संत से आशीर्वाद लिया।

बालोतरा, (निसं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रविवार को बालोतरा जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आसोतरा ब्रह्म मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश को सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के मंदिर पहुंचने पर मंदिर ट्रस्ट एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पारंपरिक स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मंदिर

परिसर में स्थित शिव धूनी के दर्शन किए तथा माता सावित्री के साथ भगवान ब्रह्मा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण एवं धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंदिर की धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्ता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आस्था केंद्र भारतीय संस्कृति और सनातन

परंपरा को मजबूत करने का कार्य करते हैं। इस दौरान आहोर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित, महामंत्री बाबू सिंह राजपुरोहित, रामसिंह बोथिया, गोविंद सिंह कालुडी, जिला कलैक्टर सुशील कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक रमेश, उपखंड अधिकारी अशोक कुमार समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं स्थानीय लोग भी दर्शन के लिए उपस्थित रहे।

लॉरेंस गैंग के दो शूटरों को श्रीगंगानगर पुलिस ने मुंबई सेंट्रल जेल से पकड़ा

श्रीगंगानगर के एक ज्वैलर्स के यहां फिरौती के लिए फायरिंग की योजना और रैकी की थी

श्रीगंगानगर, (निसं)। शहर के एक ज्वैलर्स के यहां फिरौती के लिए फायरिंग की योजना और रैकी करने वाली गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को कोतवाल पृथ्वीपाल सिंह मुंबई की सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लाए हैं। यहां इनको अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपी आगरा जिले के बिजौली निवासी 22 वर्षीय प्रदीप शर्मा उर्फ गोल्ड पंडित पुत्र राधा मोहन व इसी गैंग के 25 वर्षीय दीपक उर्फ तुषार पुत्र रमेश चंद्र को रिमांड पर लिया है।

एसएसपी रघुवीर शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों ने यहां रहकर ज्वैलर्स के संस्थानों और उनके पारिवारिक सदस्यों की रैकी की थी। ये सभी लॉरेंस

■ आरोपी प्रदीप शर्मा उर्फ गोल्ड पंडित वर्ष 2026 में ही जवाहरनगर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका है

■ आरोपी प्रदीप और दीपक उर्फ तुषार ने लॉरेंस गैंग के कहने पर ही मुंबई में फायरिंग की थी

विश्रोई गैंग के सदस्य हैं। ये उसी गैंग के सदस्य के कहने पर श्रीगंगानगर में आए थे। गैंग की ओर से ज्वैलर्स को फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी दी गई थी। गिराह के सदस्यों ने ज्वैलर्स को डराने-धमकाने के लिए रैकी की थी। फायरिंग कर नुकसान पहुंचाने की भी योजना थी। आरोपी प्रदीप शर्मा उर्फ गोल्ड पंडित इससे पहले लू 2026 में ही जवाहरनगर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका है। उसने अग्रसेन चौक निवासी,

मीरा चौक स्थित ऑफिस संचालित कर रहे प्रॉपर्टी कारोबारी राजू कथुरिया के घर पर फायरिंग की थी। आरोपी प्रदीप शर्मा उर्फ गोल्ड पंडित को करीब दो माह पहले ही जवाहरनगर पुलिस ने अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी प्रदीप और दीपक उर्फ तुषार ने लॉरेंस गैंग के कहने पर ही मुंबई में फायरिंग की थी। इसलिए श्रीगंगानगर में इनके गिरफ्तार होने के बाद मुंबई पुलिस इनको प्रोडक्शन वारंट पर

गिरफ्तार कर ले गई थी। ये दोनों तब से मुंबई सेंट्रल जेल में ही बंद थे। इस मामले में आरोपी अर्पित शर्मा, रोहित सिंह, आजाद उर्फ हैरी, शिवा सिंह उर्फ शिवा युंजर को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। वे अभी जेल में ही हैं। वर्तमान में आरोपी कोतवाली में दर्ज मामले में बीएनएस की धारा 308(5), 351(3), 111(2)(बी), 111(3), 61(2)(ए) के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किए गए हैं। बीएनएस की धारा 111 भी संगठित गिराह द्वारा की जाने वाली आपराधिक वारदातों पर प्रभावी होती है। यह लाभगमक का जैसा ही है। इसलिए जिन राज्यों में संगठित गिराह के खिलाफ विशेष कानून नहीं है, वहां बीएनएस की धारा 111 और उसके उपखंड प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं।

पाटन : कांकड़ खदान में बवाल, महिलाओं ने पत्थर बरसाए

पाटन, (निसं)। डाबला रोड स्थित कांकड़ खदान संख्या 19/81 पर रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चतुर की ढाणी की कुछ महिलाओं और पुरुषों ने खदान क्षेत्र में पहुंचकर क्रशर जोन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए घटनाक्रम से प्लांट पर काम कर रहे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान एलएनटी मशीन के शीशे भी टूट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब आधा दर्जन महिलाएं और पुरुष पहाड़ी

■ महिलाएं और पुरुष पहाड़ी पर चढ़ गए और प्लांट व क्रशर क्षेत्र की ओर पत्थर फेंकने लगे

■ अचानक हुए घटनाक्रम से प्लांट पर काम कर रहे कर्मचारी जान बचाने इधर-उधर भागने लगे

पर चढ़ गए और वहां से प्लांट व क्रशर क्षेत्र की ओर पत्थर फेंकने लगे। घटना के चलते कुछ समय के लिए खदान क्षेत्र में कामकाज भी प्रभावित रहा। खदान मालिक प्रेम शर्मा ने आरोप लगाया कि चतुर की ढाणी का एक परिवार लंबे समय से खदान संचालन में बाधा उत्पन्न

कर रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित परिवार उनसे मंथली राशि की मांग करता है और मांग पूरी नहीं होने पर एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पोर्टल, महिला आयोग और पुलिस थाने में भी झूठी शिकायतें किए

जाने का आरोप लगाया गया है। प्रेम शर्मा ने यह भी बताया कि उनकी खदान में पिछले 40-45 वर्षों से कार्य किया जा रहा है और यहां काम करने वाले मजदूरों को बदमाश बताकर डराने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित परिवार सवाई चक भूमि पर बसा हुआ है, जो खदान के लीज क्षेत्र में आती है। घटना के बाद खदान मालिक ने पाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

चोरी का आरोपी गिरफ्तार

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी पुलिस ने रविवार को कस्बे में लगातार हो रही चोरियों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के लहने व सीसीटीवी कैमरे बरामद किए हैं। थानाधिकारी मोहनलाल ने बताया कि 24 अप्रैल को योगेश कुमार ने रिपोर्ट दी कि वह 22 अप्रैल को मकान को सूना देखकर पिछे से चोर मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे जेवरों चोरी कर लिये तथा कमरों में तोड़फोड़ कर डोबीआर भी चोरी कर ले गया। पुलिस टीम ने आरोपी जसवंत उर्फ कालू पुत्र राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

दुष्कर्म पीड़िता ने आत्महत्या की चेतावनी दी

मसूदा, (निसं)। एक युवती ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह आत्महत्या करने को मजबूर होगी। पीड़िता ने बताया कि करीब सात माह पूर्व आरोपी युवक ने उसे घर में अकेला पाकर जबरन दुष्कर्म किया था। घटना के बाद उसने 31 मार्च 2026

■ आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर एसपी से गुहार लगाई

को मसूदा पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के करीब 30 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी खुलेआम उसके घर के आसपास घूम रहा है तथा उसे और

उसके परिवार को मुकदमा वापस लेने की धमकियां दे रहा है। आरोपी के परिजन भी लगातार समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने से परेशान पीड़िता ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर न्याय दिलाने की मांग की है।

इस संबंध में थाना अधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि वह वर्तमान में पॉक्सो से संबंधित कार्रवाई के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वापस लौटते ही आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

फर्जी पट्टे जारी करने पर तत्कालीन वीडिओ निलंबित

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी उपखंड के पुराना पंचायत में फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में जिला परिषद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुराना ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कैलाश चंद्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार पंचायत समिति विकास अधिकारी द्वारा कार्रवाई गई प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं और

नियमों के विरुद्ध पट्टा जारी करने की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई की गई। निलंबित ग्राम विकास अधिकारी जयकिशन का मुख्यालय आगामी आदेश तक जिला परिषद मुख्यालय झुंझुनू पंचायत प्रकोष्ठ में रखा गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पुराना क्षेत्र में फर्जी तरीके से पट्टा जारी किए जाने की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला परिषद प्रशासन ने जांच

करवाई, जिसमें दस्तावेजों में गड़बड़ी और प्रक्रिया में लापरवाही सामने आई। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सीईओ ने तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी कर दिए। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायत स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई के बाद पंचायत विभाग में

हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए दोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि फर्जी पट्टों के कारण कई जरूरतमंद लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और सरकारी व्यवस्था भी भी सवाल खड़े होते हैं। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि मामले में अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

उदयपुर में दो कारों की भिड़ंत, युवती की मौत

उदयपुर, (कासं)। गोमुंदा-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर दो कारों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर लोग घायल हो गए। जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। टक्कर इतनी तेज थी कि एक कार करीब 20 फीट दूर धिसलते हुए बीच सड़क पर पलट गई। सूचना पर गोमुंदा थाना पुलिस के एसएसआई नंदलाल नागवा जांबे के साथ

घटना स्थल पहुंचे। घायलों को एंबुलेंस से गोमुंदा अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल तीन युवती और एक युवक को प्राथमिक इलाज के बाद एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी एक कार पाली के सुमेरपुर से उदयपुर की तरफ आ रही थी। वहीं दूसरी कार गोमुंदा से जसवंतगढ़

के लिए जा रहे थीं। सुमेरपुर से आ रही कार में निवासी डीपल पुत्री कर्पूरचंद सुथार (22) जौनल पुत्री कर्पूरचंद सुथार (18), वृंदा (21) पुत्री जयंतीलाल सुथार, वरुण (25) व उसकी बहन डिंपल (18) सवार थे। यू-टर्न पर दोनों में आपसी भिड़ंत हो गई। हादसे में डिंपल पुत्री कर्पूरचंद सुथार की मौत हो गई। जबकि बाकी चारों घायल हो गए। गोमुंदा से आ रही

कार में पांच जने सवार थे, जिन्हें मामूली चोट लगी है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम जैसी स्थिती बन गई। पुलिस ने शव को गोमुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखा। घटना के सूचना दी है। वहीं हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने क्रैन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक व्यवस्था बहाल कराई।

जोधपुर में 69 किलो डोडा-पोस्त सहित पिस्टल और कारतूस बरामद, दो जने गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने अवैध डोडा-पोस्त तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 69 किलो 800 ग्राम डोडा-पोस्त, एक पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बेलनेो कार में सवार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि पकड़ से बचने के लिए एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण पी.डी. नित्या ने बताया यह 9

■ कार्रवाई के दौरान पकड़ से बचने के लिए एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की

■ जवाब में पुलिस ने हवाई फायर किए और आरोपी को कुछ ही देर में दबोच लिया

मई की घटना है। डीएसटी और थाना बोरून्दा पुलिस ने मेड़ता-जोधपुर स्टेट हाईवे-21 पर गडसुरिया घाटी के पास नाकाबंदी की थी। इसी दौरान वहां संदिग्ध

बेलनेो कार आती नजर आई। पुलिस ने चालक को रोकने का इशारा किया। लेकिन चालक ने नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर कार को

चेर लिया। बचने के लिए चालक खेतों की तरफ भागा और पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। जवाब में पुलिस ने हवाई फायर किए और आरोपी को कुछ ही देर में दबोच लिया। मौके से चालक बंशीलाल बिस्नोई और उसके साथी मांगीलाल बिस्नोई को पकड़ा गया। तलाशी में बेलनेो कार से 69.800 किलो अवैध डोडा-पोस्त मिला, साथ ही चालक के कब्जे से एक लोडेड पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद

किए गए। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार आरोपी बंशीलाल पुत्र छोगराम बिस्नोई, निवासी जालेली चम्पावता, थाना डांगियावास और मांगीलाल पुत्र छोगराम बिस्नोई, निवासी ओलेवी, थाना कापरडा है। इस कार्रवाई में डीएसटी प्रभारी श्रवणकुमार भंवरिया, कर्मांडो सोहनराम, और थाना बोरून्दा की टीम की भूमिका रही।

नोखा, (निसं)। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 265 ग्राम स्मैक, नकदी और दो लज्जरी गड्डियां जब्त करते हुए एक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बीकानेर जिले में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन नीलकण्ठ' के तहत की गई। नोखा थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने जोरावरपुरा क्षेत्र स्थित एक मकान पर दबिश दी। पुलिस को लंबे समय से यहां मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त की

सूचना मिल रही थी। योजनाबद्ध तरीके से की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से चार युवकों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान 265 ग्राम स्मैक बरामद की गई। इसके साथ ही, मादक पदार्थ बेचकर जुटाए गए 1 लाख 60 हजार रुपये नकद, स्मैक तौलने के उपकरण और दो स्कॉपीयों गड्डियां भी जब्त की गईं। बरामद स्मैक की बाजार कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनोज खीचड़, कृष्ण, शेर सिंह और

शीशपाल के रूप में हुई है। पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद स्मैक कहाँ से लाई गई थी और किन-किन क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जा रही थी। आरोपियों के मोबाइल फोन और संपर्कों की भी जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। इस कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर तनुसुख राम, रामेश्वर लाल, रामेश्वर और सतीश सहित पुलिस टीम के अन्य जवान भी शामिल रहे।